

[Shri Jyotirmoy Bosu]

Mr. Speaker, Sir, I would like you to kindly observe that the motion will be circulated amongst the Members.

MR. SPEAKER: Yes, let the motion be circulated.

SHRI K. LAKKAPPA: One point, Sir. Without being circulated to the Members, publicity has been given yesterday regarding this privilege matter. How can such a publicity be given?

MR. SPEAKER: It will be circulated. No debate today. Now, Papers Laid on the Table.

12.08-1/2 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION
(1ST AMENDMENT) RULES, 1978

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में
राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :
खाद्य अयमिश्रण निवारण अधिनियम,
1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के
अन्तर्गत खाद्य अयमिश्रण निवारण (पहला
संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा
अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल
पर रखता हूँ, जो दिनांक 21 जनवरी, 1978
के भारतके राजपत्र में अधिसूचना संख्या
सांसांनि० 36(ड) में प्रकाशित
हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT-1652/
78].

RE: REPORT OF INQUIRY COMMITTEE
ON THE TREATMENT OF
SHRI JAYA PRAKASH NARAYAN

SHRI KRISHAN KANT (Chandigarh): Because the Health Minister is here, I would like to raise this matter, so that we may not raise it again. A report of the Enquiry Committee on Shri Jaya Prakash Narayan's treatment in jail has been submitted—it has come in the press. I would like to know from the hon. Minister as to when he is going to lay that report on the Table of the House so that it can be discussed.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, are you in a position to say about that?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री राज नारायण) : : अध्यक्ष महोदय,
इस प्रश्न का कल ही मैंने विचारण कर दिया
था। यह सही है कि श्री जयप्रकाश जी से
सम्बन्धित रिपोर्ट हमें मिली है। लेकिन वह
रिपोर्ट अन्तरिम है। वह रिपोर्ट फुल रिपोर्ट
नहीं है। उस रिपोर्ट को हम स्टडी कर रहे
हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी स्टडी कर रहा है।
रिपोर्ट लम्बी है। उसको स्टडी करने के बाद
अगर यह जरूरी समझा जाएगा कि रिपोर्ट
सदन के पटल पर रख दी जाए तो रख दी
जाएगी।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA
(Begusarai): The interim report is in
the nature of an order delivered by
the court. The full judgment is
delivered later. The text might come
later, but the decision is not going to
change in the final report. The view
taken by the committee is not going
to change in the final report. So, the
House must be apprised of the find-
ings of the commission.

MR. SPEAKER: The Department
must have some time to study.

SHRI KRISHAN KANT: You may
give time to the department. But next
week it must be put before the House.

श्री समर गृह (कन्टार्ड) : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मंत्री जी की सही है कि पूरी रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री को समय की जरूरत है। लेकिन श्याम बाबू ने जैसा कहा, अन्तरिम रिपोर्ट की जो फाईन्डिंग्स होती हैं, वे फुल रिपोर्ट में बेंज नहीं होती हैं। मूल रिपोर्ट तो वही होती है लेकिन फुल रिपोर्ट में डिटेल्स होती हैं। जो अन्तरिम रिपोर्ट की फाईन्डिंग्स हैं वे तो वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई बदल नहीं आयेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से उदररुवास्त करूंगा कि वे यह बतायें कि वे कब अन्तरिम रिपोर्ट पेश करेंगे ?

श्री मनोराम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, बार बार यह सवाल उठाने की जरूरत पड़ती है। इस सवाल की मैंने आज से तीन दिन पहले भी उठाया था और आपने यह कहा था कि मैंने अभी तक रिपोर्ट की नहीं देखा है और रिपोर्ट देखने के बाद फंसला करूंगा। आपने उस रिपोर्ट को मंगा कर न देखा है और उसके बारे में पूछताछ की है।

मैं माननीय मंत्री जी से भी यह जानना चाहूंगा कि जब वे विरोध में थे तो रिपोर्ट पेश करने के बारे में बड़े उतावले रहते थे। जब से ये रिपोर्ट मंत्री जी के गले पड़ गयी हैं तब से मंत्री जी कुछ दूसरी तरह से सोचने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी को मंत्री-पद लोभ की तरफ ले जा रहा है।

जयप्रकाश जी जैसे आदमी की रिपोर्ट पेश करने में इतना समय लगाया जा रहा है। ये वही जय प्रकाश जी हैं, अगर ये नहीं होते
3756 L.S.—8

तो न जाने कितने लोग मौत के शिकार हो गये होते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि श्री राजनारायण जी जय प्रकाश जी से सम्बन्धित कमेटी की रपट के बारे में कुछ न कुछ जरूर बतायें।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहता हूँ। मान लीजिए कोई बीमार आदमी है और कल को वह मर जाता है। आज उसके मन में यह भावना है कि वह जय प्रकाश जी की बीमारी के बारे में जाने और यह रपट आज नहीं आती है तो वह इसी भावना के साथ चला जाएगा और वह उस रपट के बारे में कुछ नहीं जान सकेगा। यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

श्री राज नारायण : माननीय श्री मनोराम बागड़ी, हमारे सदन के उपनेता श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री समर गृह तथा अन्य सम्मानित सदस्यों ने रिपोर्ट के बारे में बहुत उत्सुकता प्रकट की है और कहा है कि रिपोर्ट को यहां रख दिया जाए। श्रीमन्, हमारी कठिनाई यह है कि यह जो रिपोर्ट हमारे पास है यह अंग्रेजी में है। इसकी हम हिन्दी नहीं करा पाए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए कल का समय रख दिया जाए।

SHRI KRISHAN KANT: He has got the whole thing in English. There is translation arrangement here. He can read it, just now whole thing can be circulated tomorrow.

MR. SPEAKER: You may circulate it both in Hindi and English to the Members. You may do it by Monday.

[Mr. Speaker]

Without a Report there can be no discussion. Therefore, you had better not have a discussion now. You circulate it and thereafter we will fix some time for discussion, if necessary. You circulate it by Monday.

SHRI KRISHAN KANT: He is not reading the Report. The salient features.....

MR. SPEAKER: No, no, Mr. Krishan Kant. That will be again raising a debate and it will be time-consuming.

श्री राज नारायण : वह लम्बी रिपोर्ट है। मेरे पास उसके सेलियेंट फीचर्स ग्रुपों में हैं। उसका हिन्दी अनुवाद करना है।

MR. SPEAKER: There will be controversy on whether your summary is correct or not. There will be always controversy on that. If you want, take a week's time and circulate it.

श्री राज नारायण : मुझे भी यही डर है कि कहां अनावश्यक रूप से कोई कंट्रोवर्सी खड़ी न हो जाए कि करेक्टली समरी दी गई है या नहीं। लेकिन जहां तक मुझ को ज्ञान है कानून का—ला प्रोज़ेच्युट तो मैं भी कम से कम हूँ—जो सेलियेंट फीचर्स मैं दूंगा उनको कोई काट नहीं सकेगा यह मेरा कनक्विशन है। हम आड़े, कौने, अतरे बोलने वाले नहीं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट यह है। बहुत से डाक्टरों की फंसाहट है, बहुत सी नैग्लिजेंस हुई हैं। सब बातें रिपोर्ट में हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है मैं वैसा कर दूंगा।

12.17 hrs.

RE. CERTAIN REMARKS IN TV COMMENTARY ON RECENT ASSEMBLY ELCTIONS

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : कल दस बजे के बाद जो चुनाव सचीक्षा प्रस्तुत की गई उसमें कहा गया था कि जनता पार्टी को नीच जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए जनता पार्टी हार गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सूचना मंत्री जी का इरादा क्या है? नीच जाति से मतलब क्या है? क्या जिसने इन शब्दों का प्रयोग किया है उसको धारा सात में अनटचेबिलिटी ऑफेंसिस एक्ट के नीचे गिरफ्तार किया गया है? पता लगना चाहिये कि इनकी नीयत क्या है शैड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में। यह क्या तरीका है? रोज रोज हम लोगों को क्यों इस तरह से जलील किया जाता है। (अवधान) इसके बारे में एक वक्तव्य आना चाहिये। आप इसके लिए समय दें। पता लगना चाहिये कि इनकी नीयत क्या है, जनता पार्टी की नीयत क्या है—

श्री अर० एल० कुरील: (मोहनलालगंज): आप हमें प्रिवलेज मोशन रखने के लिए समय दें। हम अभी नोटिस दे सकते हैं। आप सूचना मंत्री को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। इस पर यहां बहस होनी चाहिये। इस तरह से जलील करना अनुचित है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी): किस तरह से आकाशवाणी ने इस शब्द का प्रयोग किया? फाल्ट किसका है?—
(इंटरप्शन)

MR. SPEAKER: Please sit down. I am on my legs. It is an important matter. I did not know. I shall ascertain from the Minister and let the House know.

श्री श्याम सुन्दर लाल : अध्यक्ष महोदय—

MR. SPEAKER: Do not record.

*** (Interruptions)